HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application No. 194/2026

In

S.B. Criminal Revision Petition No. 738/2026

Amar Singh S/o Shri Ranveer Singh, R/o Santruk, Police Station Udyog Nagar, District Bhratpur (At Present Confined In Central-Jail Bharatpur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application No. 195/2026

In

S.B. Criminal Revision Petition No. 739/2026

Amit Kumar Son Of Bhuri Singh, Resident Of Avar, Police Station Kumher, District Bharatpur, Present District Deeg (Raj.). (At Present Confined In Central Jail, Bharatpur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. J.K. Moolchandani with Mr. Kapil Nagayach
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Kumar Saini, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

22/04/2026

याचीगण/अभियुक्तगण **अमर सिंह एवं अमित कुमार** की ओर से विचारण न्यायालय–**अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–1, भरतपुर** द्वारा नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या–**182/2017, सरकार बनाम अमित कुमार एवं अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **22.09.2022** व अपीलीय न्यायालय–**विशिष्ठ न्यायाधीश, डकैती प्रभावित क्षेत्र, भरतपुर** द्वारा क्रमशः आपराधिक अपील संख्या–**23/2022 (सी0आई0एस0 नं0 33/2022), अमर सिंह बनाम राजस्थान राज्य** एवं आपराधिक अपील संख्या–**24/2022 (सी0आई0एस0 नं0 34/2022), अमित कुमार बनाम राजस्थान राज्य** में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक **19.03.2026** के विरूद्ध ये दोनों सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिनके द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित अपराध धारा 411 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम तीन वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।

उक्त दोनों सजा स्थगन प्रार्थना पत्र एक ही आक्षेपित निर्णय से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता याचीगण–अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि दौराने विचारण एवं अपील याचीगण/अभियुक्तगण जमानत पर आजाद रहे हैं तथा वर्तमान में वे अपील के निर्णय की दिनांक 19.03.2026 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में हैं, निगरानी याचिका में याचीगण/अभियुक्तगण के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ एवं पर्याप्त आधार विद्यमान है, याचीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिकाओं के निस्तारण में समय लगेगा, अतः प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्रों का विरोध किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, समस्त परिस्थितियों, याचीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि एवं निगरानी याचिकाओं के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए ये दोनों सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होते हैं।

परिणामतः याचीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत ये दोनों सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक याची/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए (**अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए (**अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दें कि वे इस न्यायालय में दिनांक **22.05.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उन्हें आदेशित किया जावे, उपस्थित होते रहेंगे, तो याचीगण/अभियुक्तगण 1. **अमर सिंह पुत्र श्री रनवीर सिंह एवं 2. अमित कुमार पुत्र श्री भूरी सिंह** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन कारावास की सीमा तक इन निगरानी याचिकाओं के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MANOJ ADWANI /64-65